

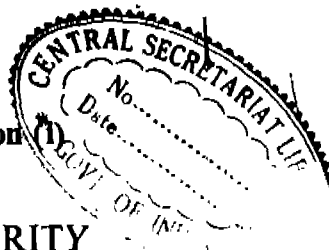
भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 121] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 18, 1979/चैत्र 28, 1901
No. 121] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 18, 1979/CHAITRA 28, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंचालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

अधीनस्थता

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1979

सा. का. नि. 251(अ).—भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंचालय (कम्पनी कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 343 (ड), दिनांक 24 जून, 1975 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड की यह राय होत है कि नीचे सारणी में वर्णित सामग्री के वर्ग के लिये मांग, इस प्रकार की सामग्री के उत्पादन या सम्भरण से व्यापक रूप से अधिक है, अतः एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं

की सेवायें इस प्रकार की सामग्री हेतु विपणन के सृजन के लिये आवश्यक नहीं होंगी, एतद्वारा घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के सरकारी राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिये भारत में इस प्रकार की सामग्रियों की बिक्री हेतु कम्पनी द्वारा एक मात्र विक्रेता अभिकर्तियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी।

सारणी

भेषज (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में यथा परिभाषित, "प्रपुंज भेषज", "भेषज" तथा "सर्विव्यास" की कोई श्रेणी, जो निम्नांकित श्रेणियों में नहीं आती :—

- (1) आयुर्वेदिक (सिद्ध संहिता) या धनानी (तिब्ब) चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित कोई वास्तविक निर्मित पदार्थ,
- (2) होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली में सम्मिलित कोई निर्मित पदार्थ।

[फा. सं. 12/15/74-सी. एल.-11]

एम. के. कुकरेजा, सचिव, कम्पनी विधि बोर्ड एवं संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(COMPANY LAW BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1979

G.S.R. 251(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 294AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 343(E), dated the 24th June 1975, the Company Law Board, being of the opinion that the demand for the category of goods specified in the Table below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of sole selling agents will not be necessary to create a market for such goods, hereby declares that sole selling agents shall not be appointed by any company for the sale of such goods in India for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Every category of "bulk drug", "drug" and "formulations" as defined in the Drugs (price Control) Order, 1979, not being :—

- (i) any bona fide preparation included in the Ayurvedic (including Siddha) or Unani (Tibb) systems of medicine; or
- (ii) any preparation included in the Homeopathic system of medicine.

[F. No. 12/15/74-CL XI]

M. K. KUKREJA, Member, Company Law Board and Jt. Secy.